न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
किस्म मुकदमा : अपील सं0 103/2017 एल.आर.एक्ट धारा–76
अनवान लिछीराम. बनाम मूलाराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.7.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील सं0 54/2017 अनवान मूलाराम बनाम दयालाराम वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.12.17 के विरुध्द अपीलान्ट लिछीराम द्वारा प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । रेस्पोन्डेंट सं01 मूलाराम की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील सं0 54/17 निर्णय दिनांक 18.12.17 द्वारा चक 15 एसपीएम का इन्तकाल सं0 338 दिनांक 14.10.16 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सादुलशहर को रिमाण्ड किया गया था । तहसीलदार सादलशहर द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 7.2.18 को आदेश पारित किया जाकर विवादित भूमि चक 18 एसपीएम में दर्ज इन्तकाल सं0 133 दिनांक 29.6.02 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निर्णय किया गया है । तहसीलदार द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 7.2.18 के विरुध्द अपीलान्ट लिछीराम द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर में अपील सं0 28/2018 अनवान लिच्छीराम बनाम मूलाराम वगैरह पेश हो चुकी है तथा न्यायालय में विचाराधीन है । उपरोक्त कारणों से इस न्यायालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील सं0 54/17 निर्णय दिनांक 18.12.17 के विरुध्द विचाधीन अपील सारहीन हो चुकी है । अतः उक्त अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट जिनके द्वारा प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, उनके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर अनापत्ति जाहिर की गयी । हमने अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार इन्तकाल सं0 338 दिनांक 14.10.16 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 मूलाराम द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील सं0 54/17 प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 18.12.17 द्वारा चक 15 एसपीएम का इन्तकाल सं0 338 दिनांक 14.10.16 तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आराजी राज से काहनाराम वगैरह के नाम सही दर्ज नहीं होना मानते हुए खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, सादुलशहर को अपने दायित्वाधीन अधिकारों का उपयोग कर विधि अनुसार उपचारात्मक कदम उठाने हेतु रिमाण्ड किया गया । उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 7.2.2018 को निर्णय पारित किया जाने के पश्चात नामान्तरकरण सं0 366 दिनांक 12.2.18 दर्ज हो चुका है । तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित किये गये रिमाण्ड आदेश दिनांक 7.2.18 एवं नामान्तरकरण सं0 366 दिनांक 12.2.18 के विरुध्द अपीलार्थी लिच्छीराम द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर में पुनः अपील सं0 28/2018 अनवान लिछीराम बनाम मूलाराम आदि प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । न्यायालय के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के रिमाण्ड आदेश दिनांक 18.12.17 की पालना में तहसीलदार द्वारा रिमाण्ड निर्णय दिनांक 7.2.18 पारित किया जाकर इन्तकाल दर्ज हो चुका है तथा उक्त रिमाण्ड आदेश व इन्तकाल के विरुध्द न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर में पुनः अपील सं0 28/2018 प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । जिसके कारण न्यायालय अति.जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.12.17 के विरुध्द इस न्यायालय में विचाराधीन अपील सं0 103/2017 सारहीन हो चुकी है । अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील सारहीन होने के साथ प्रस्तुत दस्तावेज में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अनापत्ति की गयी है । अतः इस न्यायालय में विचाराधीन अपील सं. 103/2017 अनवान लिछीराम बनाम मूलाराम वगैरह, जो न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर के निर्णय दिनाक 18.12.17 के विरुध्द प्रस्तुत होकर विचाराधीन है, वह सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । सम्भागीय आयुक्त बीकानेर	